तकनीकी शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2006–07

तकनीकी शिक्षा संचालनालय
कन्या पॉलीटेक्निक परिसर
बायरन बाजार, रायपुर

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2006–07
छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम : तकनीकी शिक्षा विभाग

मंत्रालय

विभागीय मंत्री का नाम : श्री अजय चन्द्राकर

सचिवालय

सचिव : श्री सुनील कुजूर
उप सचिव : डॉ0 एस.सी. वैरागी

विभागाध्यक्ष कार्यालय

संचालक : श्री सुनील कुजूर
अतिरिक्त संचालक : डॉ0 डी.जी. मोटवानी

तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़

अनुकमणिका

कमांक विषय
पृष्ठ

01 भाग—एक

1.1 प्रस्तावना 1
1.2 विभागीय संरचना 1
1.3 अधीनस्थ कार्यालय 2
1.4 विभाग के अन्तर्गन आने वाली संस्थाओं का विवरण 3
1.5 विभाग के दायित्व 9
1.6 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी 9

	1.7 महत्वपूर्ण सांख्यिकी (स्वीकृत एवं रिक्त पद)	12
02	**भाग–दो**	
	2.1 बजट विहंगावलोकन	14
	2.2 योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय	14
03	**भाग–तीन**	
	3.1 राज्य योजनाएं	15
	3.2 केन्द्र पोषित योजनाएं	16
	3.3 विभाग की उपलब्धियॉ	17
04	**भाग–चार**	
	4.1 शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति	22
	4.2 अन्य समितियॉ	22
05	**भाग–पॉच**	
	5.0 विभाग की भावी योजनायें	23
06	**भाग–छः**	
	6.0 विभाग के प्रकाशन	25
07	**भाग–सात**	
	7.0 सारांश	26

तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़

भाग–एक

1.1 प्रस्तावना

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये चार क्षेत्र–कृषि, उद्योग, सेवायें और सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख माने गये हैं । इसके लिये कार्यकुशल इंजीनियर एवं तकनीकी कौशलयुक्त मानव संसाधन का विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है । तकनीकी शिक्षा इसी आवश्यकता को पूरा करती है । तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, कम्प्यूटर उपायोजन और फार्मेसी जैसे विषय सम्मिलित किये गये हैं । राज्य में तकनीकी शिक्षा का **लक्ष्य** है – **प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मूल्यपरक गुणात्मक तकनीकी शिक्षा तथा शोध के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करना ।**

नये राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के उदय होने के साथ ही राज्य में उपलब्ध विपुल कृषि, वन, जल और खनिज सम्पदाओं के समुचित दोहन–प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नित नये प्रयोगों के सार्थक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास और प्रचार–प्रसार को नया आयाम देना अनिवार्य हो गया है । संकल्प पत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने का संकल्प विशेष उल्लेखनीय है और इसी संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के युक्तियुक्त विकास और समन्वय के लिये विभाग सतत प्रयासरत है ।

1.2 विभागीय संरचना

तकनीकी शिक्षा संचालनालय की विभागीय संरचना निम्नानुसार है :–

तकनीकी शिक्षा संचालनाल;

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय
(03)

शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाएँ
(10)

विभाग में कार्यरत प्र

''स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें''

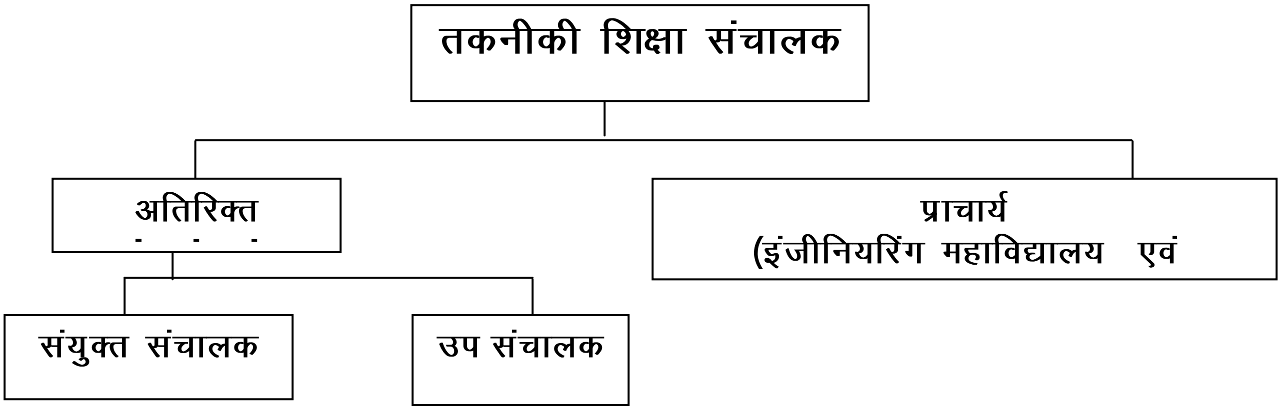

1.3 अधीनस्थ कार्यालय

तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीन तीन इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं दस पॉलीटेक्निक संस्थाऐं हैं । इन संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

1.3.1 इंजीनियरिंग महाविद्यालय :–

1. नवीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर
2. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
3. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर

1.3.2 पॉलीटेक्निक संस्थाएं :–

अ. कन्या पॉलीटेक्निक

1. शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर
2. शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर
3. शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगॉव

ब. सहशिक्षा पॉलीटेक्निक

1. शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग
2. शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़
3. शासकीय भोपालराव पवार पॉलीटेक्निक, धमतरी
4. शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा
5. शासकीय पॉलीटेक्निक, अम्बिकापुर
6. शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़
7. शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर

1.4 विभाग के ... विवरण

''ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा दो प्रकार की संस्थाओं– इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में दी जाती है । इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर चार वर्षीय बी.ई. तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ई./एम.टेक., एम.सी.ए. और एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित हैं । पॉलीटेक्निक संस्थाओं में त्रिवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों की तकनीकी शिक्षा दी जाती है । प्रदेश के सबसे पुराने शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर को 01.12.2005 से एन. आई.टी. का दर्जा प्राप्त हुआ है । नवीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर 240 प्रवेश क्षमता के साथ वर्ष 2006 से प्रारंभ हो चुका है । वर्तमान में राज्य में तीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, दो स्वशासी–स्ववित्तीय तथा नौ निजी महाविद्यालय हैं, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 4670 है । इन महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के 13 पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 06 पाठ्यक्रम संचालित है । राज्य की 10 शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं एवं 07 निजी डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं में कुल 14 पत्रोपाधि पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं । समस्त पॉलीटेक्निक तकनीकी शिक्षण संस्थायें वर्तमान में राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से सम्बद्ध हैं तथा इनमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है । सभी संस्थाओं में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन व परीक्षा की व्यवस्था लागू है ।

1.4.1 तकनीकी शिक्षण संस्थाऍं

(अ) इंजीनियरिंग एवं टेक्नालाजी में स्नातक पाठ्यक्रम :

प्रदेश में कुल 4670 प्रवेश क्षमता के साथ इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी में निम्नांकित स्नातक पाठ्यक्रम संचालित है ।

1	सिविल इंजीनियरिंग	2	मेकेनिकल इंजीनियरिंग
3	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	4	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली कम्यूनिकेशन
5	इन्फर्मेशन टेक्नालॉजी	6	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग
7	इलेक्ट्रीकल इंजी. एण्ड इलेक्ट्रानिक्स	8	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन
9	एप्लाईड इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन	10	इण्डस्ट्रीयल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग
11	केमिकल इंजीनियरिंग	12	माइनिंग इंजीनियरिंग
13	बॉयो टेक्नालॉजी		

''आज ऊर्जा बचायें, भविष्य सुरक्षित बनायें''

छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :–

इंजी. महाविद्यालय	जिला	महाविद्यालय का नाम	प्रवेश क्षमता
शासकीय–03	रायपुर बिलासपुर जगदलपुर	नवीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर	240 260 140
		योग	**640**
स्वशासी, स्ववित्तीय–02	बिलासपुर रायगढ़	आई.टी. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के.आई.टी., रायगढ़	360 240
		योग	**600**
निजी –9	दुर्ग रायपुर बिलासपुर राजनांदगॉव	1. बी.आई.टी., दुर्ग 2. सी.एस.आई.टी., दुर्ग 3. रूंगटा कालेज ऑफ इंजी. एंड टेक्नालॉजी, भिलाई 4. एम.पी.सी.सी.टी., भिलाई 5. श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ इंजी. एंड टेक्नालॉजी, भिलाई 1. आर.आई.टी. रायपुर 2. दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉजी, रायपुर चौकसे इंजी.कालेज, बिलासपुर सी.आई.टी. राजनांदगॉव	480 420 420 280 540 420 300 390 180
		योग	**3430**
		कुल योग	**4670**

''ऊर्जा की बचत धन की बचत''

विभिन्न इंजीनियरिंग पाठ्... ी निम्नानुसार है :–

प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता एवं विषयवार विवरण

संस्था का नाम	सिविल	मेकेनिकल	इलेक्ट्रिकल	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन	केमिकल	कम्प्युटर साइंस	इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स	माइनिंग	इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन	बायो टेक्नालॉजी	इलेक्ट्रानिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन	योग
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर	20	40	60	40		40	40		20				**260**
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जगदलपुर	20	30	30	30			30						**140**
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर		60		60		60		60					**240**
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्ना. गुरूघासीदास युनिवर्सिटी, बिलासपुर		60		60	60	60	60			60			**360**
किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायगढ़		60		60		60	60						**240**
भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, दुर्ग	60	90	60	120		90	60						**480**
छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, दुर्ग		120		120		60		60				60	**420**
छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, राजनांदगाव		60		60		60							**180**
चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर	30	90		90		60	60	60					**390**
दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एण्ड टेक्नालॉजी, रायपुर		60		90		90		60					**300**
एम.पी.क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ टेक्ना., भिलाई		60	60	60		60	40						**280**
रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर		120		60	60	60	60				60		**420**
रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, भिलाई		120	60	120		60	60						**420**
श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नलॉजी भिलाई		120		120		120	60	120					**540**
कुल सीटें	130	1090	270	1090	120	880	530	360	20	60	60	60	**4670**

(ब) फार्मेसी पाठ्

“स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें”

प्रदेश में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं पांच निजी संस्थाएं– (1) आर.आई.टी. रायपुर (2) कोलम्बिया इंस्टीट्युट ऑफ फार्मेसी रायपुर (3) रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ फार्मेसी कुम्हारी (4) रूंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस एंड रिसर्च भिलाई (5) चौकसे इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी बिलासपुर, प्रत्येक में 60, इस प्रकार कुल 420 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ फार्मेसी में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित है।

(स) इंजीनियरिंग महाविद्यालय– स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :

प्रदेश में एम.ई./एम.टेक.,एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	संस्थाओं की संख्या
1.	इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम	06
2.	एम.सी.ए.	08
3.	एम.बी.ए.	06

(द) डिप्लोमा पाठ्यक्रम :–

राज्य के कुल दस शासकीय पॉलीटक्निक संस्थाओं में से 03 केवल छात्राओं के लिये हैं तथा शेष 07 में सहशिक्षा की व्यवस्था है । इनकी कुल प्रवेश क्षमता 1765 है इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान भी संचालित हैं । इन संस्थाओं में निम्नानुसार 14 पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित है (फार्मेसी के अलावा सभी पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय हैं, फार्मेसी का पाठ्यक्रम द्विवर्षीय है) :–

1. सिविल इंजीनियरिंग
2. मेकेनिकल इंजीनियरिंग
3. इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग
4. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेली.कम्यू. इंजी.
5. इन्फर्मेशन टेक्नालॉजी
6. कम्प्यूटर साइंस
7. मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग
8. माईनिंग इंजीनियरिंग
9. माडर्न आफिस मैनेजमेंट
10. आर्किटेक्चर
11. इंटीरियर डेकोरेशन
12. कास्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेंकिंग
13. इंस्ट्रूमेंटेशन
14. फार्मेसी

''ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन

प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

पॉलीटेक्निक	जिला	पॉलीटेक्निक का नाम	प्रवेश क्षमता
कन्या –03	रायपुर जगदलपुर राजनांदगांव	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगांव	240 135 30
		योग	**405**
सहशिक्षा –07	दुर्ग रायगढ़ धमतरी कोरबा अम्बिकापुर राजनांदगॉव बिलासपुर	शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़ शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी शासकीय पॉलीटेक्निक, कोरबा शासकीय पॉलीटेक्निक, अम्बिकापुर शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़ शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर **योग**	360 270 210 180 200 100 40 **1360**

उपरोक्त के अलावा प्रदेश में निम्नानुसार सात निजी डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान संचालित है :

निजी – 09	रायपुर	कोलंबिया कालेज आफ फार्मेसी मौ.अ.क.आ.कालेज आफ फार्मेसी रायल कालेज ऑफ फार्मेसी	60 60 60
	दुर्ग	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी गुरूकुल इंस्टीट्यूट, गरियाबंद रूंगटा कॉलेज आफ फार्मास्युटिकल साइंस एंड रिसर्च, भिलाई	60 45 60
	बिलासपुर	सिद्धिविनायक इंस्टी. आफ टेक्ना. बिलासपुर चौकसे कालेज आफ फार्मेसी बिलासपुर जे.के.इंस्टीटयुट आफ फार्मेसी बिलासपुर	60 60 60
		योग	**525**

''आज ऊर्जा बचायें, भविष्य सुरक्षित बनायें''

प्रदेश के शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की जानकारी निम्नानुसार है :–

प्रदेश में शासकीय पॉलीटेकनिकों में प्रवेश क्षमता एवं विषयवार विवरण

संस्था का नाम / कन्या पॉलीटेकनिक	इन्फमेशन टेक्नालॉजी	कम्प्यूटर साइंस	माडर्न आफिस मेनेजमेंट	कास्ट्यूम डिजाइन	इलेक्ट्रानिक्स	आर्किटेक्चर	इन्टीरियर डेकोरेशन	योग
(1) रायपुर	30	45	30	30	45	30	30	**240**
(2) राजनांदगांव	0	0	30	0	0	0	0	**30**
(3) जगदलपुर	30	0	30	30	45	0	0	**135**
योग	**60**	**45**	**90**	**60**	**90**	**30**	**30**	**405**

संस्था का नाम / सहशिक्षा पॉलीटेकनिक	सिविल	मेकेनिकल	इलेक्ट्रिकल	इलेक्ट्रानिक्स	मेटलर्जी	इन्फमेशन टेक्नालॉजी	कम्प्यूटर साइंस	माइनिंग	इन्स्ट्रूमेंटेशन	माडर्न आफिस मेनेजमेंट	योग
(1) दुर्ग	30	60	60	60	60	30	30	0	0	30	**360**
(2) रायगढ़	30	80	80	40	0	0	40	0	0	0	**270**
(3) धमतरी	30	60	60	30	0	0	30	0	0	0	**210**
(4) कोरबा	0	60	60	30	0	0	0	0	30	0	**180**
(5) अंबिकापुर	30	30	40	30	0	0	30	40	0	0	**200**
(6) तखतपुर	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	**40**
(7) खैरागढ़	0	30	0	40	30	0	0	0	0	0	**100**
योग	**120**	**360**	**300**	**230**	**90**	**30**	**130**	**40**	**30**	**30**	**1360**

1.4.2 प्रवेश प्रकिया

इंजीनियरिंग पाठ्यकम –

बी.ई. पाठ्यक्रमों के लिये अर्हकारी परीक्षा (10+2) की बारहवीं उत्तीर्ण होना है । शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की सभी सीटों तथा निजी एवं स्वशासी–स्ववित्तीय संस्थाओं की छत्तीसगढ़ कोटा की सीटों पर प्रवेश मेरिट के अनुसार राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा पी.ई.टी. एवं राज्य के निजी तथा स्वशासी–स्ववित्तीय संस्थाओं के ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर प्रवेश अखिल भारतीय स्तरीय ए. आई.ई.ई.ई. (अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा) की प्रावीण्य सूची के आधार पर दिया जाता है ।

एम.ई. / एम.टेक. में प्रवेश ''गेट'' ;ळ ।ज्म्द्ध के प्राप्तांकों के आधार पर होता है । एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. के लिये अर्हता स्नातक होना है । एम.सी.ए. में प्रवेश छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ली जाने वाली प्री–एम.सी.ए. परीक्षा तथा एम.बी.ए. में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ''मैट'' ;ड ।ज्द्ध परीक्षा के रैंक के आधार पर होता है ।

''बिजली नहीं ये सोना है, व्यर्थ में इसे नहीं खोना है''

डिप्लोमा पाठ्यक्रम –

पॉलीटेक्निक संस्थाओं में कक्षा दसवीं/बारहवी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा दसवी में गणित एवं साइन्स तथा बारहवीं के भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित/ बॉयों में उनके प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है ।

1.5 विभाग के दायित्व

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के गुणवत्तायुक्त विकास, समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए संचालनालय द्वारा किये जाने वाले कार्य नीचे दर्शाये गये हैं :–

1. शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों का प्रशासकीय नियंत्रण
2. शासकीय पॉलीटेक्निकों का प्रशासकीय नियंत्रण
3. राज्य के सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निकों में प्रवेश की कार्यवाही
4. राज्य में नई पॉलीटेक्निक संस्थाएं/डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की कार्यवाही

1.6 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1.6.1 छात्रवृत्तियॉ (सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिये)

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिये मेरिट स्कालरशिप और मेरिट–कम–मीन्स स्कालरशिप 125 रू. प्रति माह तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में 75 रू. प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है । राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र–छात्राओं को 250 रू. प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है । इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के छात्रों हेतु 76 एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं के छात्रों हेतु 153 छात्रवृत्तियॉ निम्नानुसार स्वीकृत हैं :

इंजीनियरिंग महाविद्यालय	**छात्रवृत्तियों की संख्या**	**छात्रवृत्ति रू. प्रतिमाह**
मैरिट स्कॉलरशिप	16	125.00
मैरिट स्कॉलरशिप (राज्य के बाहर पढने वाले विद्यार्थियों के लिए)	8	250.00
मैरिट – कम – मीन्स	52	125.00

पॉलीटेक्निक		
मैरिट स्कॉलरशिप	13	75.00
मैरिट स्कॉलरशिप (विश्व बैंक के तहत–कन्याओं के लिए)	59	75.00
मैरिट – कम – मीन्स	81	75.00

''बिजली का उपयोग राष्ट्रहित में समझदारी से करें''

1.6.2 अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को सुविधायें

शासकीय तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र–छात्राओं के लिये बुक बैंक योजना, विशेष कोचिंग, ड्राइंग सामग्री एवं स्टेशनरी के प्रदाय की सुविधायें उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों (जिनके पिता/माता की आय रू. 1.00 लाख तक) के लिये पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है । बी.ई.पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रावासी छात्र–छात्राओं को 840 रू. प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी छात्र–छात्राओं को 430 रू. प्रतिमाह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है । इसी प्रकार पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रावासी छात्र–छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 610 रू. प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी छात्र–छात्राओं को 430 रू. प्रतिमाह आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है ।

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को शिक्षण शुल्क में भी छूट है । राज्य शासन ने अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्रों जिनके पिता/माता की आय रूपये दो लाख प्रतिवर्ष तक है, पूरी शिक्षण शुल्क में छूट तथा रूपये ढाई लाख तक की वार्षिक आय के लिए शिक्षण शुल्क में आधी छूट है ।

1.6.3 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को सुविधायें

अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्रों को जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 25,000/– या उससे कम हो, शिक्षण शुल्क में पूरी छूट दी जाती है । इसके अलावा पालक/अभिभावक की वार्षिक आय के आधार पर छात्र–छात्राओं को निम्नानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता है :–

(अ) पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 9000/– या उससे कम

संस्था/वर्ष	छात्रावासी/गैर छात्रावासी	छात्रवृत्ति, रूपये प्रतिमाह	
		छात्र	छात्रा
इंजी.महा. प्रथम वर्ष	छात्रावासी	210/–	220/–
	गैर छात्रावासी	100/–	110/–
इंजी.महा. द्वितीय वर्ष	छात्रावासी	210/–	255/–
	गैर छात्रावासी	100/–	115/–
पॉलीटेक्निक प्रथम वर्ष	छात्रावासी	125/–	135/–
	गैर छात्रावासी	100/–	110/–
पॉलीटेक्निक द्वितीय वर्ष	छात्रावासी	130/–	145/–
	गैर छात्रावासी	105/–	120/–

(ब) पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 9000/– से अधिक परंतु रू. 25000/– तक

पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 9000/– से अधिक परंतु रू. 25000/– तक होने की स्थिति में छात्रवृत्ति की दर उपरोक्त ''**अ**'' की सारिणी में दिये गये दर से आधी होगी ।

1.6.4 सेवा भर्ती नियम

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी लिपिकीय एवं अलिपिकीय कर्मचारियों हेतु तकनीकी शिक्षा सेवा भर्ती नियम शासन द्वारा स्वीकृति पश्चात् प्रकाशित हो चुके हैं । चतुर्थ श्रेणी एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु सेवा भरती नियमों की शासन द्वारा स्वीकृति के लिए प्रक्रिया जारी है ।

1.6.5 संचालनालय एवं मैदानी कार्यालयों का सेट–अप

विभाग में संचालनालय का सेट–अप एवं मैदानी कार्यालयों यथा– इंजीनियरिंग महा. एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं का सेट–अप शासन द्वारा स्वीकृत हो चुका है ।

1.6.6 पदोन्नति/क्रमोन्नति :–

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के प्राचार्य पद तथा समकक्ष अतिरिक्त संचालक के 2 पदों पर पदोन्नति दी गई है तथा शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के विभागाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नति के प्रकरण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को भेजने के उपरांत पदोन्नति समिति की बैठक हो चुकी है ।

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के शिक्षकीय संवर्ग में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी तथा प्रवाचक पदों पर क्रमोन्नति की कार्यवाही जारी है ।

संचालनालय में तृतीय श्रेणी के एक पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है ।

1.6.7 नियमित नियुक्तियॉं :

पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु 18 विभागाध्यक्ष एवं 96 व्याख्याताओं तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 44 व्याख्याता, 14 रीडर, 7 प्रोफेसर तथा ग्रंथपाल के 6, प्रोग्रामर के 2 एवं शारीरिक व्यायाम प्रशिक्षक के 5 पदों की सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है ।

1.6.8 संविदा/पुनर्नियुक्ति :

प्रदेश के शास.इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में रिक्त 44 एवं शास.पॉलीटेक्निकों में 89 कुल 133 व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर एक वर्षीय संविदा नियुक्ति अंतिम चरण में है । पूर्व में कार्यरत 55 संविदा व्याख्याताओं (इंजीनियरिंग 21 एवं पॉलीटेक्निक 34) को पुर्नसंविदा नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही भी अंतिम चरण में है । संचालनालय से सेवानिवृत्त एक उप संचालक को एक वर्षीय संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है ।

1.6.9 सूचना का अधिकार :

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विभाग में भी लागू है तथा अधिनियम 2005 संबंधी मेन्युअल तैयार की गई है । विभाग में संस्थाओं में 14 जनसूचना अधिकारी, 14 सहायक जनसूचना अधिकारी हैं तथा 2 अपिलीय अधिकारी हैं । अधिनियम के तहत 01.04.2006 से 31.01.2007 तक कुल 64 आवेदन पत्र सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुये हैं जिनमें से 54 आवेदन पत्रों का निराकरण कर लिया गया है तथा शेष प्रकरणों में कार्यवाही जारी है ।

1.7 महत्वपूर्ण

''ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है''

(अ) संचालनालय

कमांक	अधिकारी/कर्मचारी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	प्रथम श्रेणी	13	08	05
2.	द्वितीय श्रेणी	03	01	02
3.	तृतीय श्रेणी	56	25	31
4.	चतुर्थ श्रेणी	12	07	05
	योग	**84**	**41**	**43**

(ब) शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय

कमांक	अधिकारी/कर्मचारी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	**प्रथम श्रेणी** प्राचार्य	03	00	03
	प्राध्यापक	20	01	19
	प्रवाचक	38	15	23
	व्याख्याता	107	58 (08नियमित,50 संविदा)	49
2.	द्वितीय श्रेणी	16	05	11
3.	तृतीय श्रेणी	288	126	162
4.	चतुर्थ श्रेणी	269	232 '(25 पद सांख्येत्तर)	37
	योग	**741**	**437**	**304**

(स) शासकीय पॉलीटेकनिक

कमांक	अधिकारी/कर्मचारी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	**प्रथम श्रेणी** प्राचार्य	10	01	09
	विभागाध्यक्ष	45	01	44
	व्याख्याता	236	147 (75नियमित, 72 संविदा)	89
2.	द्वितीय श्रेणी	16	07	09
3.	तृतीय श्रेणी	543	235	308
4.	चतुर्थ श्रेणी	230	189	41
	योग	**1080**	**580**	**500**

''आज ऊर्जा बचायें, भविष्य सुरक्षित बनायें''

भाग – दो

2.1 बजट विहंगावलोकन

वर्ष 2006–07 में विभाग को प्राप्त आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्न तालिका में दी गई है :– **(राशि लाख रू. में)**

क्रं.	योजना कार्यक्रम सेक्टर मॉग संख्या	2006–2007 बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय (31.12.2006 तक)
	आयोजना		
1.	47 आयोजना (सामान्य)	1263.50	126.31
2.	41 आदिवासी उपयोजना	56.00	13.78
3.	41–4202–पूंजी परिव्यय (भवन)	200.00	25.00
4.	64–विशेष घटक योजना	30.60	12.95
	योग – योजना	**1550.10**	**178.04**
	आयोजनेत्तर		
5.	47 आयोजनेत्तर	2444.64	1119.51
	महायोग	**3994.74**	**1297.55**

2.2 योजनावार बजट प्रावधान एवं व्यय

वर्ष 2006–07 : उपकरण

(राशि लाख रू. में)

संस्था	आयोजना	
	प्रावधानित राशि	31.12.2006 तक व्यय की गई राशि
इंजीनियरिंग महाविद्यालय	330.00	31.31
पॉलीटेक्निक	100.00	–
योग	**430.00**	**31.31**

वर्ष 2006–07 : भवन

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष	आयोजना	
	प्रावधानित राशि	31.12.2006 तक व्यय की गई राशि (वचनबद्ध व्यय को मिलाकर)
41–4202 पूंजी परिव्यय भवन	200.00	178.94
योग	**200.00**	**178.94**

''ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है''

भाग – तीन

3.1 राज्य योजनाएं

तकनीकी शिक्षा के वर्ष 2006–07 के बजट में आयोजना प्रस्तावों में समस्त पॉलीटेक्निक महाविद्यालय तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को आधुनिकतम उपकरणों एवं सुविधाओं के साथ रिसर्च एवं डेव्हलपमेंट के लिए लगभग क्रमशः रू. 100.00 लाख एवं 330.00 लाख का प्रावधान रखा गया है । इसके अंतर्गत सभी पॉलीटेक्निकों की प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु रू. 50.00 लाख के उपकरणों के क्रय हेतु तथा इंजी.महा. के उन्नयन हेतु रू. 276.65 लाख का आबंटन जारी कर दिया गया है । योजनावार पिछले तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, जिसमें प्रत्येक योजना का व्यय दर्शाया गया है ।

क्रं.	योजना / कार्यक्रम सेक्टर / मांग संख्या	2004–2005		2005–2006		2006–2007 दि. 31.12.2006 तक का वास्तविक व्यय (वचनबद्ध व्यय को मिलाकर)	
		बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1.	**आयोजना** 47 आयोजना (सामान्य)	1336.84	954.11	1389.05	1007.76	1263.50	126.31
2.	41 आदिवासी उपयोजना	49.26	44.62	49.26	34.807	56.00	13.78
3.	41–4202–पूंजी परिव्यय (भवन)	40.00	36.00	40.00	36.00	200.00	25.00
4.	64–विशेष घटक योजना	27.30	23.00	30.60	24.83	30.60	12.95
	योग	1453.40	1057.73	1508.91	1103.397	1550.10	178.04
5.	**आयोजनेत्तर** 47 आयोजनेत्तर	2398.71	1866.79	2769.48	2231.60	2444.64	1119.51
	योग	2398.71	1866.79	2769.48	2231.60	2444.64	1119.51
	महायोग	3852.11	2924.52	4278.39	3334.997	3994.74	1297.55

3.2 केन्द्र पोषित योजनाएं

संचालनालय के अधीनस्थ पॉलीटेक्निक संस्थाओं में केंद्र शासन द्वारा निम्न योजनाएँ चलाई जा रही है :–

1. कम्युनिटी पॉलीटेक्निक योजना
2. निःशक्तता से बाधितों के लिये योजना

''आज ऊर्जा बचायें, भविष्य सुरक्षित बनायें''

3.2.1 कम्यूनिटी पॉलीटेक्निक योजना :—

राज्य के सभी दस शासकीय पॉलीटेक्निकों में कम्यूनिटी पॉलीटेक्निक योजना का क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा —निर्देशानुसार किया जा रहा है । इस योजना का उद्देश्य **सामुदायिक ग्रामीण विकास** हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार/स्वरोजगार कार्यक्रमों को लघु अवधि प्रशिक्षण/जन प्रचार के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचाना है । इस योजना के सफल संचालन हेतु प्रत्येक संस्था में एक परियोजना अधिकारी, दो सहायक परियोजना अधिकारी एवं अन्य सहयोगी कर्मचारी होते हैं । इस योजना के अन्तर्गत गॉवों में विस्तार केन्द्र खोलकर ग्रामीण बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न व्यवसायों, उदाहरणार्थ — मोटर वाइंडिंग, हाउस वायरिंग, टेलरिंग, कटिंग, एम्ब्राइडरी, स्क्रीन प्रिंटिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, फ्रिज एवं एअर कंडिशनर रिपेयरिंग, टायपिंग आदि, में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे आत्म निर्भर हो सकें । इस योजना के तहत गॉव में ट्रांसफर आफ टेक्नालॉजी तथा स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जाता है ।

कम्युनिटी पॉलीटेक्निक योजना में सत्र 2006—07 में (दिसंबर 2006 तक) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 3729 है तथा इस योजना से व्यवसाय प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 167 है ।

3.2.2 निःशक्तता से बाधितों के लिए योजना :—

इस योजना के तहत पॉलीटेक्निक दुर्ग एवं कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में 30—30 विकलांग छात्रों को स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाने हेतु अलग—अलग विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें मोटर वाइंडिंग, टी.व्ही. मैकेनिक, कम्प्यूटर आपरेटर, आंतरिक साज—सज्जा आदि है । निःशक्तता से बाधितों के लिए पॉलीटेक्निक दुर्ग एवं कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में नियमित डिप्लोमा के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक संस्था में अतिरिक्त 25 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है।

निःशक्तता से बाधितों के लिये निःशक्तजन परियोजनान्तर्गत नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के तहत सत्र 2006—07 में अध्ययनरत कुल प्रवेशित छात्राओं की संख्या कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में 14 है तथा पॉलीटेक्निक दुर्ग में 25 है। लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2006—07 में कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में प्रशिक्षण प्राप्त छात्राओं की संख्या 34, स्वरोजगाररत छात्र 26 तथा रोजगाररत छात्रों की संख्या 7 है ।

शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग एवं कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 45 छात्र/छात्रायें प्रवेशित हैं तथा लघु—अवधि व्यावसायिक प्रशिक्षण में 131 व्यक्ति लाभान्वित हुए ।

''ऊर्जा की बचत धन की बचत''

3.3 विभाग की उपलब्धियाँ :

3.3.1 इंडस्ट्री इंस्टीट्युट लिंकेज कार्यशाला :

विभाग द्वारा इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज पॉलिसी विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 19–21 दिसंबर 2006 को हॉटल बेबीलॉन में किया गया, जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया तथा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की गयी । कार्यशाला में कुल 21 शोध पत्र पढ़े गये तथा सुझाव प्रस्तुत किये गये ।

सचिव तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में उद्योग जगत से लगभग 80 प्रतिनिधि तथा लगभग 160 शिक्षाविद् एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी रही । इस कार्यशाला में पैनल चर्चा के माध्यम से प्राप्त सुझावों के आधार पर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है । पैनल में प्रसिद्ध शिक्षाविद्, विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक/आई.टी.आई. प्राचार्यगण भी सम्मिलित थे । प्रस्तावित पॉलिसी में राज्य स्तर पर पृथक संचालनालय का गठन किया जायेगा ।

3.3.2 छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय :

3.3.2.1 विश्वविद्यालय से संबद्धता :

वर्तमान में 14 इंजीनियरिंग, 10 पॉलीटेक्निक तथा 7 फार्मेसी कालेज, विश्वविद्यालय से संबंद्ध हैं । विश्वविद्यालय द्वारा 22 अध्यादेश तथा 32 परिनियम बनाये जाकर कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित किये गये हैं । विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम के अनुसार कार्यपरिषद, विद्यापरिषद, वित्त समिति, अध्ययन बोर्ड, अकादमिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड आदि परिषदों तथा समितियों का गठन कर इनसे संबंधित बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है ।

3.3.2.2 विश्वविद्यालय का भवन निर्माण :

विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 250 एकड़ भूमि ग्राम उमरपोटि एवं नेवई, भिलाई में राज्य शासन द्वारा चिन्हित की गई है । वर्तमान में यह भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र के आधिपत्य में है ।

3.3.2.3 परीक्षा :

विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक कैलेण्डर के अनुसार परीक्षा का आयोजन तथा परीक्षा परिणाम की घोषणा की जा रही है । विश्वविद्यालय की वेबसाईट ूण्बेअजनण्बण्पद पर परीक्षा की समय सारणी तथा परीक्षा परिणाम उल्लेखित किये जाते हैं ।

3.3.2.4 पाठ्यकम :

विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यकम की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा का पुनर्परिभाषीकरण – अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य के विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जुलाई 2–3, 2006 को किया गया ।

"स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें"

3.3.2.5 अनुसंधान, विकास, कार्यशाला व सेमीनार :

इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 8 कार्यशालाओं/सेमीनार व 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्वामी विवेकानंद स्मृति युवा उत्सव समारोह का आयोजन किया गया । नेनोटेक्नोलॉजी विषय में निकट भविष्य में शोध कार्य प्रारंभ किया जाना है ।

3.3.3 छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल :

राज्य के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूर्व मूल्यांकन परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु राज्य में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की स्थापना दिनांक 30.7.2005 को की गई है, जिसने सत्र 2005–06 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । वर्ष 2006 से पी.ई.टी., पी.एम.टी., पी.ए.टी. प्री एम.सी.ए., प्री लेटरल इंट्री टेस्ट, प्री फार्मेसी (डिग्री एवं डिप्लोमा), प्री बी.एड. तथा सेट परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा कराई जा रही हैं । इन परीक्षाओं के अलावा कुछ अन्य भर्ती परीक्षाएँ भी करायी जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से पुलिस उपनिरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा सम्मिलित है ।

3.3.4 नवीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर :

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर को एन.आई.टी. का दर्जा प्राप्त होने के कारण, प्रदेश के कमजोर वर्ग के छात्रों के हितों के संरक्षण हेतु एवं सीटों में हुई कमी की क्षतिपूर्ति हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायपुर में एक नया शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा के परिपालन में पूर्व में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा संचालित यू.आई.टी. का अधिग्रहण कर नया इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर में प्रारंभ किया गया है । इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जा चुकी है ।

- नवीन इंजीनियरिंग महाविद्यालय हेतु किराये का भवन ले लिया गया है ।
- संस्था के भवन हेतु ग्राम सेजबहार में 40 एकड़ भूमि पर भवन निर्माण प्रारंभ हो चुका है ।
- उपकरण, कम्प्यूटर, पुस्तकें एवं फर्नीचर क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

3.3.5 प्लेसमेंट एवं केम्पस इन्टरव्यू:

सत्र 2006–07 में 31.12.2006 तक केम्पस साक्षात्कार के माध्यम से शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पॉलीटेक्निक में प्लेसमेंट प्राप्त छात्र–छात्राओं की संख्या 194 है, जिसमें इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्लेसमेंट 41 तथा शासकीय पॉलीटेक्निक के प्लेसमेंट 153 हैं ।

3.3.6 कन्या छात्रावास :

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर एवं बिलासपुर में कन्या छात्रावास प्रारंभ किया गया है । कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर एवं जगदलपुर में कन्या छात्रावास निर्माणाधीन है ।

''ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है''

3.3.7 इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश :

वर्ष 2006–07 के लिए बी.ई. की समस्त सीटों पर 100: प्रवेश तथा पॉलीटेक्निक की 98: सीटों पर प्रवेश दिया गया है ।

3.3.8 एबिलिम्पिक प्रतियोगिता :

मध्य क्षेत्रीय एबिलिम्पिक प्रतियोगिता (मई 2006 भोपाल) में शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर की छात्राओं द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 5 रजत एवं 2 कांस्य पदक प्राप्त कर विभाग का गौरव बढ़ाया है ।

3.3.9 कंसलटेंसी/टेस्टिंग :

शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में कंसलटेंसी की कुल राशि लगभग रू. 29.13 लाख है । विभाग द्वारा टेस्टिंग एवं कंसलटेंसी की सुविधा शास.इंजी./पॉली.महा. के माध्यम से प्रदान की जाती है ।

3.3.10 राष्ट्रीय सेवा योजना :

समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास के मूल लक्ष्य से स्थापित राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/ पॉलीटेक्निक के छात्र–छात्राओं द्वारा शिविर में भाग लिया जाता है तथा वृक्षारोपण, महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, नशा उन्मूलन के लिये जागरूकता, बाल विवाह रोकने हेतु कार्यक्रम तथा निरक्षरता निवारण के लिये जानकारी, गांव में सार्वजनिक स्थलों की साफ–सफाई इत्यादि कार्यक्रम सम्पन्न किये गये हैं । शास. पॉलीटेक्निक कोरबा में इस योजना से 500 रतनजोत व अन्य फलदार पौधों का रोपण किया गया है । इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर में 10,400 रतनजोत पौधों का रोपण छात्र–छात्राओं द्वारा किया गया है जिससे बायोडीजल संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है ।

3.3.11 पर्वतारोहण व्यक्तित्व विकास एवं आपदा प्रबंधन शिविर:

राष्ट्रीय साहसिक खोजी एवं आपदा प्रबंधन संस्थान के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पचमढ़ी में आयोजित पर्वतारोहण व्यक्तित्व विकास एवं आपदा प्रबंधन शिविरों से कुल 83 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया तथा 58 छात्रों का चयन राष्ट्रीय हिमालय अभियान के लिये किया गया है ।

3.3.12 जीवन विद्या शिविर :

तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ मध्यस्थ दर्शन (सह अस्तित्ववाद) की अवधारणा पर आधारित जीवन विद्या शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्र–छात्राओं में स्वयं के प्रति विश्वास प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में संतुलन के प्रति विश्वास तथा व्यवसाय में स्वावलम्बी रहने के प्रति विश्वास स्पष्ट करना है ।

''बिजली नहीं ये सोना है, व्यर्थ में इसे नहीं खोना है''

3.3.13 टेक्विप ;ज्म्फप्द्ध टेक्नीकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव्हमेंट प्रोग्राम :

विश्व बैंक की सहायता से ''टेक्विप'' के अंतर्गत तकनीकी संस्थाओं के उन्नयन हेतु प्रदेश की विस्तृत प्रोजेक्ट – रिपोर्ट **म्कब्प्स** से बनवाकर केन्द्र शासन को भेजी गई है । ज्म्फप्ष् के द्वितीय चरण में भागीदारी हेतु केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार जारी है ।

3.3.14 तकनीकी संस्थाओं का आधुनिकीकरण– म्कब्प्स से परामर्श

प्रदेश की सभी तकनीकी संस्थाओं का समयानुकूल आधुनिकीकरण करने हेतु भारत शासन के उपक्रम एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड **;म्कब्प्स्द्ध** से 'ऑटोनामी', 'परीक्षा पद्धति में बदलाव' तथा प्रदेश में आई.आई.आई.टी. की स्थापना हेतु ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है ।

3.3.15 स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम :

राज्य के सभी पॉलीटेक्निक कॉलेजों में ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।निःशक्तता से बाधित छात्रों को स्वरोजगार हेतु कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर एवं पॉलीटेक्निक, दुर्ग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

3.3.16 नवीनतम तकनालॉजी पर आधारित उपकरणों की स्थापनाः

प्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक की प्रयोगशालाओं के उन्नयन/शोध सुविधा हेतु नवीनतम तकनालॉजी पर आधारित उपकरणों की स्थापना की जा रही है ।

भाग – चार

4.1 शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन ने प्रदेश के निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों/पॉलीटेक्निक संस्थाओं का शिक्षण शुल्क निर्धारण करने हेतु उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश जस्टिस श्री एस.डी.झा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर प्रदेश की निजी तकनीकी संस्थाओं की फीस निर्धारित कर दी है । शासन द्वारा झा समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है तथा निजी संस्थाओं की फीस निर्धारण हेतु प्रदेश स्तर पर समिति गठित करने की कार्यवाही जारी है ।

4.2 अन्य समितियॉ

1. कय समिति :

राज्य में केन्द्रीय कय प्रणाली के सफल संचालन हेतु कय समिति गठित की गयी है जो संचालनालय स्तर से संस्थाओं के लिये उपकरण, फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि कय संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करती है ।

2. कमोन्नति/पदोन्नति स्कीनिंग समिति :

कमोन्नति/पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कमोन्नति/पदोन्नति स्कीनिंग समिति गठित की गयी है ।

3. इंडस्ट्री इंस्टीट्युट लिंकेज समिति :

इंडस्ट्री इंस्टीट्युट लिंकेज पॉलिसी को अंतिम प्रारूप प्रदान करने हेतु इंडस्ट्री इंस्टीट्युट लिंकेज प्रारूप समिति गठित की गयी है ।

''स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें''

भाग – पॉच

5.0 विभाग की भावी योजनायें

राज्य की तकनीकी शिक्षा को रोजगारमूलक बनाने एवं तकनीकी शिक्षा के समग्र विकास के लिये विभाग कई योजनाओं पर कार्य कर रहा है जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है :–

5.1 पॉलीटेक्निक विहीन जिलों में पॉलीटेक्निकों की स्थापना

11वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार की सहायता से

1.जशपुर 2. कबीरधाम 3. उत्तर बस्तर (कांकेर) 4. दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) 5. कोरिया में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिद्धांततः सहमति प्राप्त हो चुकी है तथा राज्य शासन द्वारा इस हेतु भूमि निःशुल्क देने तथा आवर्ती व्यय वहने करने की सहमति प्रदान कर दी है । शेष दो जिलों महासमुंद तथा जांजगीर चांपा में पॉलीटेक्निक खोलना प्रस्तावित है ।

5.2 नये पाठ्यक्रम :

वर्ष 2007–08 में निम्न नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करना प्रस्तावित है :

- शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर में मेटलर्जी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है ।
- शासकीय पॉलीटेक्निक राजनांदगांव में कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन
- शासकीय पॉलीटेक्निक तखतपुर में इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन ।

5.3 ज्म्फ्प्छ ;ज्मबीदपबंस म्कनबंजपवद फनंसपजल प्उचतवअमउमदज च्तवहतंउउमद्ध

तकनीकी संस्थाओं के उन्नयन हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करना

5.4 सभी शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निकों को स्वायत्तता प्रदान करना

5.5 इंडस्ट्री–इन्स्टीट्यूट लिंकेज स्थापित करना

5.6 ''इंग्लिश लेब''

- प्रदेश के छात्रों को साक्षात्कार के दौरान अपनी जानकारी को आत्मविश्वास पूर्वक प्रस्तुत करने में दक्ष बनाने हेतु इंग्लिश लेब की स्थापना प्रस्तावित है।

''ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है''

5.7 प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण :

- इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम एवं आधुनिकतम तकनीक से प्रदेश के छात्रों को अवगत कराने हेतु थ्नमस ब्मसस ज्मबीदवसवहल स्ंइए ।कअंदबमक ब्वउउनदपबंजपवद स्ंइ एवं छमजूवता ळमदमतंजपवद ज्तंदेचवतज स्ंइ की स्थापना प्रस्तावित है ।

5.8 कोरबा में नये इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना :

पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत कोरबा में नया इंजीनियरिंग महाविद्यालय सत्र 2007–08 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु क्च्ट बनाया जा चुका है तथा भूमि चिन्हित कर ली गयी है तथा नियमावली पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

5.9 नये पाठ्यक्रम ।प्ब्ज्म् द्वारा स्वीकृत :

प्रदेश के पॉलीटेक्निकों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की दिशा में निम्न पाठ्यक्रमों हेतु ।प्ब्ज्म् से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है :

1. पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम : शास.पॉलीटेक्निक कॉलेज कोरबा में पोस्ट डिप्लोमा इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग एवं पोस्ट डिप्लोमा इन कैड/कैम (कम्प्यूटर एडेड डिजाईन/ कम्प्यूटर एडेड मैन्युफेक्चरिंग)
2. डिप्लोमा पाठ्यक्रमः शास.पॉलीटेक्निक रायगढ़ में डिप्लोमा इन मैटलर्जी, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नालॉजी, डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ।

''आज ऊर्जा बचायें, भविष्य सुरक्षित बनायें''

विभाग के प्रकाशन

6.0 इंडस्ट्री इंस्टीट्युट लिंकेज स्मारिका :

विभाग द्वारा इंडस्ट्री इन्स्टीट्यूट लिंकेज पॉलिसी विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 19.12.06, 20.12.06 एवं 21.12.2006 को हॉटल बेबीलॉन में किया गया । जिसमें उद्योगपति, शिक्षाविद एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी द्वारा इंडस्ट्री इंस्टीट्युट लिंकेज पॉलिसी को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु सुझाव प्राप्त किये गये । इस अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित की गई जिसमें प्रस्तावित पॉलिसी एवं विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझाव सम्मिलित किये गये ।

6.1 तकनीकी शिक्षा के आयाम :

छात्र–छात्राओं को तकनीकी शिक्षा संबंधी मार्गदर्शन एवं जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ''तकनीकी शिक्षा के आयाम'' नामक पत्रिका प्रकाशित की गयी है एवं इसे ूमइेपजम रू ूण्कजम.बहण्वतह पर भी परिचारित किया गया है ।

''स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें''

7.0 सारांश

राज्य शासन शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के मानव संसाधन को सुनियोजित विकास एवं दिशा देने के लिए कृतसंकल्पित है । इस दिशा में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना, पॉलीटेक्निक विहीन जिलों में पॉलीटेक्निक की स्थापना का प्रस्ताव, सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिकतम उपकरणों को संस्थाओं में उपलब्ध कराना, प्रयोगशालाओं का उन्नयन, अधोसंरचना का विकास, उद्योगों से तालमेल जैसे कार्यक्रम प्रमुख हैं । राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यथा आई.आई.आई.टी. स्थापित करना, इण्डस्ट्री इन्स्टीट्यूट लिंकेज को मूर्तरूप देना आदि कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनसे विभाग राज्य की तकनीकी शिक्षा को एक नया आयाम देने में सफल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

''ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन